न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 58 / 2024
दायरी दिनांक 13.02.2024
सुरेश कुमार पुत्र श्री झाबर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम रणजीतपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू

बनाम

भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील मण्डावा जिला झुझुनूं (राज.)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री रामकुमार राठी एडवाकेट

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 02.01.2025

संक्षेप मे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रणजीतपुरा पटवार हल्का हनुमानपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में हाल खसरा नम्बर 273 रकबा 0.04 हैक्टर, खं.नं. 274 रकबा 0.04 हैक्टर, खं.नं. 275 रकबा 0.04 हैक्टर, खं.नं. 318 रकबा 2.38 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.50 हैक्टर स्थित है। प्रार्थी का उक्त कृषि भूमि में 1/16 हिस्सा है। उक्त कृषि भूमि शामलाती भूमि है। जिस पर प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है।प्रार्थी के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स आदि दस्तावेजात में प्रार्थी का नामसुरेश कुमार दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में भूलवश प्रार्थी का नाम संजीव गलत दर्ज हो गया। जिसको दुरुस्त करना न्यायोचित है। खसरा नम्बर 273, 274, 275, 318 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भूलवश संजीव गलत दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी के सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार दर्ज है। जिसको दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है।ग्राम रणजीतपुरा पटवार हल्का हनुमानपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में एक अन्य कृषि भूमि खसरा नम्बर 276 स्थित है जिसमें प्रार्थी का सही नाम सुरेश कुमार दर्ज है। जबकि भूमि खसरा नम्बर 273, 274, 275, 318 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम भूलवश संजीव गलत दर्ज हो गया जो दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम रणजीतपुरा पटवार हल्का हनुमानपुरा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में हाल खसरा नम्बर 273 रकबा 0.04 हैक्टर, खं.नं. 274 रकबा 0.04 हैक्टर, खं.नं. 275 रकबा 0.04 हैक्टर, खं.नं. 318 रकबा 2. 38 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.50 हैक्टर स्थित है के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम संजीव की जगह सुरेश कुमार दुरूस्त करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी भूमि अधिकारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा को तलबी नोटिस जारी किये । तहसीलदार मण्डावा द्वारा रिपोर्ट पेश की ग्राम रणजीतपुरा के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खाता न: 20 में प्रार्थीगण का नाम संजीव पुत्र झाबर सिंह दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के आधार पर प्रार्थी का नाम संजीव पुत्र झाबर सिंह के स्थान पर सुरेश कुमार पुत्र झाबर सिंह किया जाना उचित है।

पत्रावली का अवलोकन एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। वाके ग्राम रणजीतपुरा के राजस्व रिकार्ड में खाता संख्या 20 में प्रार्थी के नाम संजीव पुत्र झाबर सिंह दर्ज है। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत पहचान दस्तावेजात एवं तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के वास्तविक नाम सुरेश पुत्र झाबर सिंह है।अतः तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित होता है।

निर्णय

अतः ग्राम रणजीतपुरा के खाता संख्या 20 में दर्ज संजीव पुत्र झाबर सिंह के स्थान पर सुरेश पुत्र झाबर सिंह कर संशोधन करने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहरीर तहसीलदार मण्डावा को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी,
मण्डावा